2025:CGHC:22565

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक 21/04/2025

आदेश पारित करने का दिनांक 09/06/2025

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 1045/2018

1– श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मोहबा बाजार, मारुति हाइट्स, चतुर्थ तल, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1– बाबू रमलू माडी पिता श्री रमलू माडी, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी– कमरा नंबर 268, चाल नंबर 9, पैंथर नगर, गोदरेज कॉलोनी, झोपड़ पट्टी, विकोली, मुंबई.....(**दावाकर्ता क्रमांक 1**)

2– श्रीमती आई पद्ममणि पति बाबू रमलू माडी, आयु 44 वर्ष, निवासी– कमरा नंबर 268, चाल नंबर 9, पैंथर नगर, गोदरेज कॉलोनी, झोपड़ पट्टी, विकोली, मुंबई.....(**दावाकर्ता क्रमांक 2**)

3– उपेन्द्र जयसवाल, पिता श्री कृपाराम जयसवाल, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– गुरुनानक वार्ड, रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे, निपनिया रोड, भाटापारा, जिला बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़..... (**वाहन स्वामी**)

4– जीवन प्रसाद मिरी, पिता श्री तोप सिंह मिरी, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी– ग्राम सुहेला, पारा जैतखाम के पास, बलौदा बाजार रोड, तहसील सिमगा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़.....(**वाहन चालक**)

...प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से : श्री अमृतो दास, अधिवक्ता की ओर से श्री अनिमेष पाठक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 व 2 की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थीगण क्रमांक 3 व 4 की ओर से : श्री बी.एल. साहू, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

सी.ए.वी. निर्णय

1. वर्तमान अपील बीमा कंपनी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन विद्वान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भाटापारा (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक एच–30/2014 में दिनांक 07.02.2018 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अधीन दावा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिकरण ने दावाकर्तागण/प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में 5,02,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णीत किया है।

2. मृतक गणेश बाबू मणि के अभागे माता–पिता (प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2) द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 166 के अधीन दिनांक 26.04.2014 को मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए दावा आवेदन प्रस्तुत करके 21,62,369/– रुपये के क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था, जिसके विरुद्ध अधिकरण ने आवेदन की तिथि से वास्तविक संदाय तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल 5,02,000/– रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अधिनिर्णीत किया।

3. प्रश्नाधीन अधिनिर्णय में, अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन अर्थात ट्रैक्टर–ट्रॉली के चालक जीवन प्रसाद मिरी (प्रत्यर्थी क्रमांक 4) की उपेक्षा और उतावलेपन के कारण हुई, जिसमें मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे गणेश बाबू मणि की टक्कर के कारण सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन ट्रैक्टर का बीमा अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा किया गया था, जिसकी बीमा पॉलिसी प्र.डी.–1 है; पॉलिसी का कोई उल्लंघन साबित नहीं पाया गया, अतः स्वामी उपेंद्र जायसवाल (प्रत्यर्थी क्रमांक 3) और ट्रैक्टर के चालक जीवन प्रसाद मिरी (प्रत्यर्थी क्रमांक 4) के साथ–साथ अपीलार्थी/बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के संदाय हेतु उत्तरदायी ठहराया गया, जिसे अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा अपील में चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों का पंजीकृत स्वामी उपेंद्र जायसवाल (प्रत्यर्थी क्रमांक 3) था। दुर्घटना के समय, ट्रैक्टर का बीमा अपीलार्थी के पास था, जिसकी पॉलिसी प्र.डी.–1 है, किंतु ट्रॉली का कोई अलग से बीमा नहीं था।

5. अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक गणेश बाबू मणि को ट्रॉली से सिर में चोट लगी थी, जिसे मोटरसायकल चालक राहुल सोनाने (आ.सा.–2) ने घटनास्थल के साक्षी के रूप में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में, चूँकि चोट ट्रॉली से टक्कर के कारण लगी थी और ट्रॉली का बीमा नहीं था, अपीलार्थी/बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, अपीलार्थी/बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के संदाय के अपने दायित्व से मुक्त होने के पात्र है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **धोंडुबाई विरुद्ध हनमंतप्पा बंडप्पा गांडीगुडे चुँकि मृत द्वारा उनके विधि प्रतिनिधियों व अन्य, 2023 लाइवलॉ (एससी) 725** में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया।

6. प्रत्यर्थीगण क्रमांक 3 व 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, जो कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का पंजीकृत स्वामी एवं चालक हैं, का तर्क है कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने यह अभिवाक नहीं

किया है कि मृतक को ट्रॉली ने टक्कर मारी थी और ट्रॉली का बीमा नहीं था, इसलिए वे क्षतिपूर्ति के संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इस संबंध में, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। राहुल सोनाने (अ.सा.–2), जो मोटरसाइकिल चालक था, के साक्ष्य के आधार पर, यह निर्णायक रूप से नहीं माना जा सकता कि गणेश बाबू मणि की मृत्यु ट्रॉली से टक्कर के कारण हुई। यह भी तर्क है कि ट्रॉली एक स्व–चालित वाहन नहीं है; यह केवल ट्रैक्टर से जुड़ने के बाद ही चलती है, और उनका केवल एक ही चालक है। ऐसी स्थिति में, यदि ट्रैक्टर ट्रॉली से जुड़ा भी है, तो एक साथ चलने के कारण, ट्रैक्टर और ट्रॉली को एक ही वाहन माना जा सकता है, और ट्रैक्टर का बीमा किया गया था; अतः ट्रॉली का अलग से बीमा कराने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी। चूँकि दुर्घटना चलती ट्रैक्टर–ट्रॉली के कारण हुई पाई गई है, इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति संदाय के लिए उत्तरदायी है। अपीलार्थी बीमा कंपनी का तर्क ग्राह्य नहीं है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अधिकरण के अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि लिखित कथन में अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा यह अभिवचन नहीं किया गया है कि गणेश बाबू मणि की मृत्यु ट्रॉली से टक्कर के परिणामस्वरूप हुई और ट्रॉली का बीमा नहीं था, इसलिए वे क्षतिपूर्ति के संदाय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। मोटरसाइकिल चालक राहुल सोनाने (आ.सा.–2), जो दावाकर्ता पक्ष की ओर से साक्षी है, और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन, ट्रैक्टर–ट्रॉली के चालक, जीवन प्रसाद मिरी के कथन में भी व्यक्त किया गया है कि गणेश बाबू मणि को ट्रॉली ने टक्कर मारी थी, जिसे अधिकरण ने भी स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में, यह माना जा सकता है कि गणेश बाबू मणि की मृत्यु ट्रॉली से टक्कर में लगी चोट के कारण हुई। अपीलार्थी द्वारा उद्धृत निर्णय, **धोंडुबाई** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, मृतक ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर में सवार था और ट्रेलर का बीमा नहीं था, तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कराया और संदाय एवं वसूली का आदेश दिया। किंतु मेरे समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में, मृतक गणेश बाबू मणि, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन अर्थात ट्रैक्टर–ट्रॉली का तृतीय पक्ष है, अर्थात वह ट्रैक्टर–ट्रॉली में नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पर सवार था और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन से टक्कर के कारण हुई, जबकि उपरोक्त निर्णय में मृतक उस वाहन का तृतीय पक्ष नहीं था क्योंकि वह ट्रेलर में सवार था। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी/बीमा कंपनी का प्रकरण उपरोक्त निर्णय द्वारा समर्थित नहीं है।

9. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस विवाद्यक पर चर्चा करते हुए, **लियाकत अली विरुद्ध श्रीमती चुन्नी देवी आदेश क्रमांक 600/2009**, दिनांक 16.07.2010 को पारित प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया है

कि ट्रेलर/ट्रॉली, जो ट्रैक्टर से जुड़ा है, ट्रैक्टर का एक हिस्सा है जिसका बीमा कंपनी द्वारा विधिवत बीमा कराया गया था। अतः बीमा कंपनी यह अभिवाक कर क्षतिपूर्ति संदाय के अपने दायित्व से बच नहीं सकता कि ट्रेलर का अलग से बीमा नहीं कराया गया था।

10. इसी प्रकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **सौदान सिंह विरुद्ध नन्ही देवी व अन्य, एफएओ क्रमांक 2952/2017** में दिनांक 02.02.2021 को पारित प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि विचाराधीन ट्रॉली के लिए अलग से बीमा की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान प्रकरण में भी, चूँकि दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर का बीमा किया गया था, अतः उससे जुड़ी ट्रॉली का बीमा कराना आवश्यक नहीं था।

11. मेरे समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में भी, ट्रैक्टर और ट्रॉली एक साथ जुड़े हुए थे और गतिशील अवस्था में थे। ट्रॉली को ट्रैक्टर के बिना नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में, ट्रैक्टर और ट्रॉली को एक ही वाहन माना जाना चाहिए। इस स्थिति में, यह न्यायालय पाता है कि अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय, जिसमें अपीलार्थी/बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के संदाय हेतु उत्तरदायी ठहराया गया है,में कोई अवैधता या विकृति नहीं है। अतः अपीलार्थी/बीमा कंपनी का तर्क ग्राह्य नहीं है तथा संबंधित अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. तदनुसार,अपीलार्थी/बीमा कंपनी की अपील खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**